...यालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 378/18

सरकार बनाम श्री:-- पैनसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 13/3/18

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री ----पैनसिंह----पुत्र श्री---अमरसिंह---जाति जाट-- निवासी शीशवाड़ा-- तहसील महवा ने संवत 20-- फसल रवि / खरीफ मे ग्राम शीशवाड़ा----की राजकीय आराजी खसरा नं. ---382--- रकबा कुल 0.11 ---किस्म गै.मु.मकान---भूमि से 0.01--रकबा पर अनाधिकृत रूप से-------- मकान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.16---का 50----गुना 8.00 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0..120.....पर
वर्ष 2017-18....में पेनल्टी/बकाया नीलामी
की राशि तादादी रुपये....8.00..पै0....
की जमा कायमी की गई ।
दिनांक 15/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा

नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा